अनुदान संख्या 77 – राज्य सभा
GRANT No. 77–RAJYA SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*59,00*	*94,00*	*85,52*	*–8,48*
पूरक	*Supplementary*	*35,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शेष Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	113,98,00	131,84,00	127,34,97	–4,49,03
पूरक	Supplementary	17,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,36,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, कुल बचतें (*8.48 लाख रु.*) फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए *35.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, the overall savings *(Rs.8.48 lakhs)* constituted 24 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.35.00 lakhs* obtained in February, 2009 and 9 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2011'' संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	*O.*	*59.00*	*94.00*	*85.52*	*–8.48*
पू.	*S.*	*35.00*			

(I) ''संसद - राज्य सभा - सभापति और उप सभापति'' के अंतर्गत *59.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *35.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *94.00 लाख रु.* कर दिया गया, तथापि, *8.48 लाख रु.* की बचत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, कार्डों के मुद्रण और अतिथि गृह आवास से संबंधित कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "Parliament – Rajya Sabha – Chairman and Deputy Chairman" – the original *appropriation* of *Rs.59.00 lakhs* was augmented to *Rs.94.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.35.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.8.48 lakhs* – due to receipt of less bills relating to New Delhi Municipal Council, printing of cards and guest house accommodation.

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (449.03लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1786.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (Rs.449.03 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grants of Rs.1786.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2011'' संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	11398.00			
पू.	S.	1786.00	12848.00	12734.97	–113.03
पु.	R.	–336.00			

(I) 2.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under two heads.

(II) ''संसद - राज्य सभा - विपक्ष के नेता का सचिवालय'' के अंतर्गत 42.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 56.50 लाख रुपए रु. कर दिया गया जो, तथापि, 40% बकाया की अदायगी पर कम व्यय किए जाने, कम दौरे किए जाने और समयोपरि भत्ते के कम दावे होने के कारण 7.82 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Parliament – Rajya Sabha – Secretariat of Leader of Opposition" – the original provision of Rs.42.50 lakhs was augmented to Rs.56.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.82 lakhs – due to less expenditure on payment of 40% arrears, less tours undertaken and less claims towards overtime allowance.

(III) "संसद - राज्य सभा - सदस्य'' के अंतर्गत 681.40 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 7297.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सदस्यों को उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर उपस्करों के संबंध में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से बिलों, जलपान बिलों के प्राप्त न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 53.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 71 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (346.58 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "संसद - राज्य सभा सचिवालय - सचिवालय'' के अंतर्गत 1028.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 320.48 लाख रु. था।

(III) Under "Parliament - Rajya Sabha - Members"- saving of Rs.681.40 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.7297.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-receipt of bills from Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi Municipal Council towards computer equipments supplied to members, refreshment bills and less claims of medical reimbursement.

(IV) Under one head saving of Rs.53.00 lakhs occurred constituting 71 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly (Rs.346.58 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1028.00 lakhs under "Parliament - Rajya Sabha Secretariat -Secretariat". Actual excess, however, was Rs.320.48 lakhs.